

विषय:- महानिरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक का कार्यालय के पदाधिकारियों को मोटर सार्जिकल क्रय करने की अनुमति एवं तत्पश्चात् सशस्त्री भत्ता स्वीकृत करने के अधिकार के सम्बन्ध में।

पुलिस आदेश सं- 258/96 में महानिरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक का कार्यालय के पदाधिकारियों को मोटर सार्जिकल क्रय एवं सशस्त्री भत्ता की स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित प्रक्रिया का निरूपण किया गया है।

उपर्युक्त पुलिस आदेश सं- 258/96 की कंडिका 11 में निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है :-

"महानिरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक के र. तर के पदाधिकारियों को महानिरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक के र. तर के पदाधिकारियों को महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार मोटर सार्जिकल क्रय करने की अनुमति एवं तत्पश्चात् सशस्त्री भत्ता की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सूक्ष्म पदाधिकारी होंगे।"

ह0/-स0 को सचरेमा,

महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

आपके 5124/पी-1 महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय क्रमांक 19-5-45-90 पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 1997।

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, सृष्टि आरक्षी विभाग, बिहार, पटना को इस कार्यालय के माप क्र. 2173/पी-1, दिनांक 19-5-96 के क्रम में सूचार्थ।
- 2- सभी आरक्षी निरीक्षक सहित सहायक निरीक्षक/समाकेटा/प्राचार्य को सूचार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
- 3- सभी प्रदेशीय आरक्षी महानिरीक्षक/देशीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक सहित सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, सहायक पुलिस को सूचार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
- 4- महानिरीक्षक, सहायक, बिहार, पटना को सूचार्थ।
- 5- आरक्षी महानिरीक्षक, अवर अधिकारी अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
- 6- सहायक श्री प्रो. पटना, पी. प्रणालिका को भी प्रतियों में पुलिस आदेश के पंजी में रखने हेतु अनुरोध।